न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 9/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/29

अनवान

1. केली पुत्री भानसिंह उर्फ भाना रावत पत्नि पंचमसिंह रावत निवासी सरेवड़ी का बाड़िया हाल निवास पीपली थोरिया ओडा तहसील भीम जिला राजसमंद

वादिया

बनाम

1. रोडा आत्मज नोला रावत निवासी सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिए शाखा प्रबन्धक
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी– वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 1, 2 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 23/3/2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किः–

1. राजस्व ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादिया के पिता भाना आत्मज नौला रावत एवं प्रतिवादी संख्या 1 रोड़ा के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 391 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, 392 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। उक्त आराजियात में वादिया के पिता भाना जी का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत 2049 से 2052 तक साथ पेश की है।
2. वादिया के पिता भाना जी का स्वर्गवास हो गया है तथा मैं वादिया मृतक खातेदार भाना जी की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस हूँ लेकिन पटवारी हल्का ने प्रतिवादी संख्या एक के साथ मिल कर आपस मे संयुक्त सांठ गांठ कर भाना जी की वादिया जायन्दा पुत्री होते हुए भी भाना जी की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 454 को भाना जी के कोई विधिक वारिस नही होना मान कर भाना जी के भाई प्रतिवादी संख्या एक रोडा के नाम पर भर कर उसे दिंनाक 5/6/1993 को ग्राम विकास/शिविर मे तहसीलदार साहब रायपुर से फैसल करवा लिया। उक्त नामान्तरकरण मै वादिया मृतक खातेदार भाना जी की जायन्दा पुत्री होने से मेरे मुकाबले आरम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। प्रमाण में नकल नामान्तरकरण साथ पेश की है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

3. भाना जी की मृत्यु होने के पश्चात मै वादिया भाना जी के हक हिस्से की आराजियात पर काबिज होकर काश्त कर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही। वादिया मृतक खातेदार भाना जी की जायन्दा पुत्री होकर उनकी प्रथम श्रेणी की एक मात्र उतराधिकारी होकर वारिस है और उक्त आराजियात मे मुझ वादिया का जन्म से ही हक अधिकार निहित है।

4. भु प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान ग्राम सरेवडी का भी नवीन बन्दोबस्त हुआ, जिसमे साबिक आराजी संख्या 391, 392 कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा के नवीन नम्बर 241 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 244 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 245 रकबा 0.27 हेक्टेयर, 246 रकबा 0.01 हेक्टेयर गै०मु० आराजी चाह, 247 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 248 रकबा 0.16 हेक्टेयर, 249 रकबा 0.31 हेक्टेयर 250 रकबा 0.28 हेक्टेयर, 251 रकबा 0.36 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.07 है0 बनाए गए। प्रमाण में नकल, मिलान क्षेत्रफल पेश है।

5. वादवर्णित आराजियात वादिया के हक हिस्से भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर प्रतिवादी 1 उसे किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने पर आमादा है। तथा वादिया को हक अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराया जाना आवश्यक हो गया है।

6. अतः वादिया की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिकी बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जाए कि ग्राम सरेवड़ी का बाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी की हाल आराजी संख्या 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 कुल किता 9 कुल रकबा 2.07 है0 भूमि में वादिया का भाना आत्मज नौला रावज की जायन्दा पुत्री होने से 1/2 हक व हिस्सा निहित है, जिसे वादिया अपने नाम राजस्व रेकार्ड मे बतौर खातेदार के दर्ज कराने की अधिकारीणी है। ग्राम सरेवड़ी का नामान्तकरण संख्या 454 के मुकाबले आरम्भ से शुन्य एवं निष्प्रभावी है कि डिकी भी बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वादिया को उसके हक अधिकार व आधिपत्य की वादवर्णित भूमि से जबरन बेदखल करने नही करें करावे, उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा, रूकावट व व्यवधानन तो स्वयं उत्पन्न करे न अन्य से करावे तथा वादवर्णित आराजियात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से अन्तरित व हस्तान्तरित नही करें करावें।

7. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 27.05.2025 व प्रतिवादी संख्या 2 बावजुद सूचना उपस्थित नही होने से दिनांक 12.08.2025 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 औपचारिक पक्षकार है।

प्रकरण में तनकीयात कायम की गई जो निम्न है –

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)

1. आया वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित भूमि वादिया की पैतृक एवं पुश्तैनी है, जो वादिया के पिता भानसिंह उर्फ भाना रावत के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसमें वादिया का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। वादिया अपने 1/2 हिस्से की घोषणात्मक डिक्री जारी कराने की अधिकारी है। जिम्मे वादिया

2. आया वादिया अपने हक हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण प्राप्त करने की अधिकारीणी है। जिम्मे वादिया

9. साक्ष्य वादी में वादी कैलीदेवी पिता भानसिंह रावत निवासी सरेवड़ी का बाड़िया हाल निवास पीपली थोरिया ओडा तहसील भीम जिला राजसमंद द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकन किया शपथकर्ती के पिता भाना पिता नौला रावत एवं रोड़ा के संयुक्त खातेदारी की साबिक आराजियात कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। उक्त वर्णित आराजियात में पटवारी हल्का ने रोडा के साथ मिलकर नामान्तरण संख्या 454 दर्ज करते समय भाना के कोई वारीस का अंकन नही करते हुए नामान्तरण रोड़ा के नाम फैसल कर दिया जबकि वादिया मृतक भाना की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारीस है। साबिक आराजियात के नवीन नम्बर कायम किए गए। वादिया के पिता के 1/2 हिस्से की मालिक वादिया है। नामान्तरण 454 शुरू से शुन्य निष्प्रभावी है तथा गलत रूप से खोला गया है। शपथकर्ती को अपने जायज हक हिस्से से महरूम करने की गरज से नामान्तरण की प्रतिवादी के नाम खोला गया। वादिया का हक हिस्सा अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना चाहती है। बतौर खातेदार वादिया के पिता के बजाय 1/2 हिस्से से दर्ज कराया जावे।

10. साक्ष्य वादी में संतोष पत्नि शंकरसिंह रावत निवासी मियाला तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकन किया कि वादिया कैलीदेवी रिश्ते में परिवार में बहिन लगती है। इनके पिता का नाम भानसिंह उर्फ भाना रावत है। भाना का स्वर्गवास होने पर उनके हिस्से की जमीन रोड़ा के नाम गलत रूप से दर्ज हुई कैली भाना की पुत्री है। उनके नाम पर जमीन दर्ज होनी चाहिए जो नही हुई है जिससे कैली ने दावा किया है।

11. साक्ष्य वादी में नाथसिंह पिता उदयसिंह रावत निवासी बादरिया लाखा गुढा तहसील भीम जिला रामसंमद द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकन किया कि कैलादेवी मेरे रिश्ते में मोसी की लड़की है। वादिया की माता एवं मेरी माता दोनो सगी बहिने थी। वादिया का पीहर सरेवड़ी का बाड़िया है वह भानसिंह उर्फ भाना रावत की जायन्दा पुत्री है। वादिया का विवाह हो चुका है तथा वर्तमान सूसराल निवास कर रही है। वादिया के पिता की मृत्यु होने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण वादिया के नाम नही खोला गया। वादिया मृतक खातेदार भाना रावत के हक हिस्से की हकदार है।

12. वादपत्र के समर्थन में वादिया द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये जो निम्न है :–

क.स.	विवरण	प्रदर्श
1	जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 ग्राम सरेवड़ी खाता संख्या 113	प्रदर्श–1

सहायक कलक्टर

2	नामान्तरण संख्या 454	प्रदर्श–2
3	मिलान खसरा	प्रदर्श–3
4	जमाबन्दी संवत 2057 से 2076 ग्राम सरेवड़ी खाता संख्या 170	प्रदर्श–4
5	जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 ग्राम सरेवड़ी खाता संख्या 79	प्रदर्श–5

13. वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादिया के पिता नाम दर्ज रेकार्ड थी। वादिया के पिता की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरण से भाई के नाम पर दर्ज हुई। नामान्तरण बिना जांच किए खोला गया था। वादिया भाना रावत की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारीस है। साबिक जमाबन्दी, मिलान खसरा, नवीन जमाबन्दी, नामान्तरण की प्रति पेश किए गए है। स्वतंत्र गवाह के बयान कराए गए है। वादिया की माता की मृत्यु हो चुकी है। वादिया का बाल्यकाल में विवाह हो चुका था। वादिया की पैतृक कृषि आराजियात होने से जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। वादिया का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावे।

14. प्रकरण में तनकीवार निर्णय इस प्रकार है –

1. आया वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित भूमि वादिया की पैतृक एवं पुश्तैनी है, जो वादिया के पिता भानसिंह उर्फ भाना रावत के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसमें वादिया का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। वादिया अपने 1/2 हिस्से की घोषणात्मक डिकी जारी कराने की अधिकारी है। **जिम्मे वादिया**

इस तनकी को साबित कराने का भार वादिया पर था वादिया ने इस तनकी के समर्थन में निम्न रेकार्ड का प्रदर्श कराया गया जो इस प्रकार है –

क.स.	विवरण	प्रदर्श
1	जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 ग्राम सरेवड़ी खाता संख्या 113	प्रदर्श–1
2	नामान्तरण संख्या 454	प्रदर्श–2
3	मिलान खसरा	प्रदर्श–3
4	जमाबन्दी संवत 2057 से 2076 ग्राम सरेवड़ी खाता संख्या 170	प्रदर्श–4
5	जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 ग्राम सरेवड़ी खाता संख्या 79	प्रदर्श–5

प्रदर्श–1 में अंकन अनुसार ग्राम सरेवड़ी की जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 के खाता संख्या 113 भाना, रोड़ा पिता नोला रावत के नाम दर्ज रेकार्ड है। नामान्तरण संख्या 454 जो कि प्रदर्श–2 है, से वादग्रस्त आराजियात दिनांक 05.06.1993 को विरासत से भाना की मृत्यु होने पर उसके भाई रोड़ा पिता नोला रावत के नाम दर्जगी हेतु स्वीकृत हुई। प्रदर्श–3 मिलान खसरा है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजियात के नए नम्बर 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 कायम हुए है। प्रदर्श–4 नवीन जमाबन्दी संवत 2057 से 2076 मे खाता संख्या 178 में भूमि रोड़ा पिता नोला रावत के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–5 नवीन जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 79 में अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजियात रोड़ा पिता नोला रावत के नाम दर्ज रेकार्ड है।

सहायक कलक्टर

उक्त दस्तावेजो से प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजियात मूलतः भाना, रोड़ा पिता नोला रावत के नाम दर्ज पुश्तैनी कृषि आराजियात है।

साक्ष्यवादी में गवाह पीडब्ल्यू–1 केली पुत्री भाना रावत ने शपथ पत्र पर अपने बयान प्रस्तुत किए जिसमें स्वयं को भाना की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारीस होना बताया है। वादग्रस्त आराजियात में वादिया ने अपना 1/2 हिस्सा निहित होना बताया जो उसके पिता भाना की विरासत से बनता है।

साक्ष्यवादी में स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू–2 संतोष पत्नि शंकरसिंह रावत निवासी मियाला तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद के शपथ पत्र पर बयान में अंकन किया कि वादिया केली गवाह की बहन लगती है तथा वादिया के पिता भानसिंह उर्फ भाना रावत है। भानाजी के स्वर्गवास होने पर उनके हिस्से की जमीन रोड़ाजी के नाम गलत रूप से दर्ज हुई। केली भानाजी की पुत्री है।

साक्ष्यवादी में स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू–3 नाथसिंह पिता उदयसिंह रावत निवासी बादरिया लाखा गुढा तहसील भीम जिला रामसंमद के शपथ पत्र पर बयान में अंकन अनुसार वादिया केली गवाह की मासी की पुत्री है। वादिया की माता एवं गवाह की माता दोनो सगी बहिने थी। वादिया भानसिंह उर्फ भाना रावत निवासी सरेवड़ी का बाड़िया की जायन्दा पुत्री है। वादिया की पैतृक जमीन उसके पिता भानसिंह के नाम पर दर्ज थी लेकिन उनकी मृत्यु होने पर उनकी विरासत का नामान्तरण वादिया के नाम नही खोलकर रोड़ा रावत के नाम खोल दिया गया।

साक्ष्यवादी में वादिया ने स्वयं के तथा दो स्वतंत्र गवाहो के बयान प्रस्तुत कर यह साबित किया है कि वह भानसिंह उर्फ भाना रावत की जायन्दा पुत्री होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारीस है।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजियात वादिया की पैतृक कृषि आराजियात होने से वादिया का जन्म से ही हक हिस्सा निहित होता है। दस्तावेजी साक्ष्य, स्वतंत्र गवाहों व पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार वादिया इस तनकी को साबित कराने में सफल रही है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

2. **आया वादिया अपने हक हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण प्राप्त करने की अधिकारीणी है।** **जिम्मे वादिया**

इस तनकी को साबित कराने का भार वादिया पर था वादिया ने तनकी नम्बर 1 को साबित कराया है जिससे वादग्रस्त आराजियात में वादिया के निहित हक हिस्से तक की भूमि को अपने नाम दर्ज कराने एवं उस पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

15. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का गंभीरता से अध्ययन किया तो पाया कि साबिक जमाबन्दी के अवलोकन से पाया कि वादग्रस्त

सहायक कलक्टर

आराजियात वादिया के पिता भाना के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी। भाना रावत की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरण संख्या 454 भाना रावत के भाई रोड़ा रावत के नाम फैसल किया गया है। वादिया द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्वतत्र गवाह प्रस्तुत किए गए जिससे स्पष्ट है कि वादिया भाना रावत की पुत्री है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार वर्ग 1 के वारिसो में पुत्र, पुत्री, विधवा माता पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमत पुत्र की पुत्री, पुर्वमृत पुत्री का पुत्र, पुर्वमृत पुत्री की पुत्री, पुत्र की विधवा, पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र की विधवा को सम्मिलित किया गया है।

वर्ग 2 वारिसान में

I. पिता

II. 1. पुत्र की पुत्री का पुत्र 2. पुत्री की पुत्री 3. भाई 4. बहिन

(**स्पष्टीकरण**– इस अनुसुची में भाई या बहिन के प्रति निर्देशो क अन्तर्गत उस भाई या बहिन के प्रति निर्देश नही है तो केवल एकोदररक्त के हो।)

भाना रावत की पैतृक कृषि आराजियात में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् प्रथम श्रेणी के वारीसान के जिवित रहते द्वितीय श्रेणी के वारीसान का हक हिस्सा नही बनता है। अतः वादिया का वादग्रस्त आराजियात में जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। भाना रावत का वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्सा था जिससे वादिया का वादग्रस्त आरायिजात में 1/2 हिस्सा बनता है। प्रकरण में वादिया ने तनकी 1 व तनकी को 2 को साबित कराया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सरेवड़ी का बाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी के नवीन आराजी नम्बर 241 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 244 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 245 रकबा 0.27 हेक्टेयर, 246 रकबा 0.01 हेक्टेयर गै०मु० आराजी चाह, 247 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 248 रकबा 0.16 हेक्टेयर, 249 रकबा 0.31 हेक्टेयर 250 रकबा 0.28 हेक्टेयर, 251 रकबा 0.36 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.07 है0 भूमि में वादिया को 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/3/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला पीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 9/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/29

अनवान

1. केली पुत्री भानसिंह उर्फ भाना रावत पत्नि पंचमसिंह रावत निवासी सरेवड़ी का बाड़िया हाल निवास पीपली थोरिया ओडा तहसील भीम जिला राजसमंद

वादिया

बनाम

1. रोडा आत्मज नोला रावत निवासी सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिए शाखा प्रबन्धक
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दिनांक 23/3/2026

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सरेवड़ी का बाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी के नवीन आराजी नम्बर 241 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 244 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 245 रकबा 0.27 हेक्टेयर, 246 रकबा 0.01 हेक्टेयर गै०मु० आराजी चाह, 247 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 248 रकबा 0.16 हेक्टेयर, 249 रकबा 0.31 हेक्टेयर 250 रकबा 0.28 हेक्टेयर, 251 रकबा 0.36 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.07 है0 भूमि में वादिया को 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

वाद में डिकी आज दिनांक 23/3/2026को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा